

To Shift the High Tension Power Cables.

829 SH. SUBHASH SUDHA, MLA,: Will the Power Minister be pleased to state:-

- a) Whether it is a fact that the high tension power cables are passing over the following residential areas in Thanesar Assembly Constituency:-
- i) the wires of 132KV line passing over the Kailash Nagar, Sundarpur, 7C, Vishwash Nagar, Patiala Bank Colony to Dayalpur;
 - ii) 11 KV line, passing over the Shanti Nagar Mata-Mandir to Gali No. 8;
 - iii) 33 KV line passing over the Sector-8 Radha Swami Satsang Bhawan;
 - iv) 33 KV line passing over the BBMB to New Bus Stand, Mohan Nagar, Vashisht Nagar, Jyoti Nagar Pakka Basti to Ajrana Kalan; and
- b) if so, the time by which the abovesaid cables are likely to be shifted by the Government on their expenditure?

Ranjit Singh, Power Minister

- a) Point no. i) to iv) :- Yes Sir
- b) i) There is no proposal for shifting of the existing 132KV line.
ii) to iv) Shifting of the lines will be carried out if estimated cost is deposited by the beneficiaries. Wherever possible, the 11 kV and 33 kV lines passing over residential areas may be sleeved by insulator sleeves.

उच्च क्षमता बिजली केबल स्थानांतरित करना

829. श्री सुभाष सुधा, एम०एल०ए०: क्या बिजली मंत्री कृपया बताएंगे कि—

- (क) क्या यह तथ्य है कि थानेसर विधानसभा निर्वाचनक्षेत्र में निम्नलिखित रिहायशी क्षेत्रों के ऊपर से हाई टेंशन बिजली की केबल गुजर रही हैं—
- i) कैलाश नगर, सुन्दरपुर, 7 सी, विश्वास नगर, पटियाला बैंक कॉलोनी से दयालपुर तक 132 के वी लाईन ऊपर से गुजर रही है;
 - ii) शान्ति नगर माता मन्दिर से गली नम्बर 8 तक 11 के वी लाईन गुजर रही है;
 - iii) सैक्टर 8 राधा स्वामी सत्संग भवन के ऊपर से 33 के वी की लाईन गुजर रही है;
 - iv) बी.बी.एम.बी. से नये बस स्टैण्ड, मोहन नगर, वशिष्ठ नगर, ज्योतिनगर, पक्का बस्ती से अजराना कलां के ऊपर से लाईन गुजर रही है; तथा
- (ख) यदि हां, उपरोक्त केबलों को सरकार द्वारा अपने खर्चे पर कब तक स्थानांतरित किये जाने की संभावना है ?

रणजीत सिंह, बिजली मंत्री

- क) बिन्दु सख्यां i) से iv) :— हां श्रीमान ।
- ख) i) वर्तमान 132 के वी लाइन को स्थानांतरित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।
- ii) से iv) यदि लाभार्थियों द्वारा अनुमानित लागत जमा करवाई जाती है, तो लाइनों को स्थानांतरित किया जाएगा । जहां भी संभव हो, आवासीय क्षेत्रों के ऊपर से गुजर रही 11 केवी और 33 केवी लाइनों को इंसुलेटर स्लीव द्वारा स्लीव किया जा सकता है ।